संख्या-5/2023/289806/003-38-6002(002)/1/2021

प्रेषक,

हरी राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक :-20 मार्च, 2023

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डेयरी वैल्यू चैन डेवलपमेंट बुन्देलखण्ड प्रोजेक्ट एवं एन0आर0एल0एम0 सामान्य मद हेतु राज्यांश की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-1296/2758/आजीविका/लेखा/2022-23, दिनांक-10.03.2023 के क्रम में अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डेयरी वैल्यू चैन डेवलपमेंट बुन्देलखण्ड प्रोजेक्ट हेतु धनराशि रू0-338.28 लाख एवं एन0आर0एल0एम0 सामान्य मद हेतु धनराशि रू0-1591.49 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-1929.75 लाख लाख (रूपये उन्नीस करोड उनतीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) राज्यांश पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डेयरी वैल्यू चैन डेवलपमेंट बुन्देलखण्ड प्रोजेक्ट एवं एन0आर0एल0एम0 अनुदान संख्या-13 (सामान्य मद) में वित्तीय वर्ष-2022-23 के बजट में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण संलग्न बीएम-9 प्रपत्र संख्या **आर.ई.संख्या-बजट-1-494, दिनांक-16.03.2023** के अनुसार अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग की अन्य योजना में हो रही बचत से कुल धनराशि रू0-1929.75 लाख (रूपये उन्नीस करोड उनतीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लेखाशीर्षक-2501018008901 में अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(5) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(6) स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,29,75,000 (रुपये उन्नीस करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2501018008901 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
हरी राम,
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अपर आयुक्त लेखा, ग्राम्य विकास उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. ग्राम्य विकास अनुभाग-3 /नियोजन अनुभाग-4
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरी राम,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A038-20222023-38 6002 002 1 2021

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-13 (सामान्य मद) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	25150010202 0300 (मुख्य अधिष्ठान)	01 (वेतन)	6,66,40,00,000 रुपये छह अरब छियासठ करोड़ चालीस लाख मात्र	67,88,17,400 रुपये सड़सठ करोड़ अट्ठासी लाख सत्रह हजार चार सौ मात्र	-19,29,75,000 रुपये उन्नीस करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र	6,47,10,25,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2501018008901 (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना))	42 (अन्य व्यय)	5,33,50,01,000 रुपये पांच अरब तैंतीस करोड़ पचास लाख एक हजार मात्र	19,29,75,000 रुपये उन्नीस करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र	5,52,79,76,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:-

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत एवं पुनर्विनियोग का कारण निम्नानुसार हैः-
2. भारत सरकार ग्रामीण विकास मत्रांलय पत्र संख्या- जे-12036/01/2022-आरएल(एनआरएलएम 49 ए) , दिनांक-31 दिसम्बर, 2022 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त (प्रथम ट्रैंच) रू0-10715.04 लाख धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-7143.36 लाख की आवश्यकता है, किन्तु उक्त मद् में बजट प्रावधान धनराशि उपलब्ध न होने के कारण रू0-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5551.87 लाख ही शासन से अवमुक्त हो सका। इस प्रकार शेष राज्यांश रू0-1591.49 लाख की आवश्यकता है। उक्त अपेक्षित धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-448/बजट/बचत/2022-23, दिनांक-09 मार्च 2023 के क्रम में बचत के रूप में सम्भावित है।

3. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मत्रांलय के पत्र संख्या- के-11060/04/2018/एनआरएलएम(लाइवलीहुडस), दिनांक-31 जनवरी, 2023 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत डेयरी वैल्यू चेन डेवलपमेंट बुन्देलखण्ड प्रोजेक्ट हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की तृतीय किश्त (प्रथम ट्रैंच) रू0-507.39 लाख धनराशि सीधे मिशन के खाते अवमुक्त की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-338.26 लाख की आवश्यकता है। उक्त अपेक्षित धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-421/बजट/बचत/2022-23, दिनांक-20 फरवरी, 2023 के क्रम में बचत के रूप में सम्भवित है।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्य सरकार के बजट प्राविधान में धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण पुनर्विनियोग कराया जा रहा है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:-**आर.ई.संख्या-बजट-1-494 दिनांक 16.03.2023**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0, इलाहाबाद।

हरी राम
संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

नीलेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव, वित्त।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
हरी राम
संयुक्त सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।